संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ,
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAE BARELI ROAD, LUCKNOW, U.P (INDIA)

संख्या : 1007/पी0जी0आई0/डी0आई0आर0/कैम्प/16
दिनांक : 28 जुलाई, 2016

कार्यालय आदेश

विभिन्न कर्मचारी संघों/फोरम/एसोसिएशनों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 2 अगस्त, 2016 से कार्य बहिष्कार/अनिश्चित कालीन हड़ताल की सूचना दी गई है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों से उसमें प्रतिभाग किए जाने की अपील की गई है।

इस सम्बन्ध में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराना है कि संस्थान द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के विचाराधीन प्रकरणों के निराकरण हेतु संस्थान एवं शासन स्तर पर हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। अतः दिनांक 02/08/2016 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार/अनिश्चित कालीन हड़ताल किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है तथा **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ** द्वारा रिट याचिका (जनहित याचिका) संख्या 5362 (एम/बी)/2016 पर पारित आदेश दिनांक 14 मार्च 2016 एवं उसके समादर में संस्थान द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः 10016/पीजीआई/डीआईआर/डीसी/2016, फाईल आरएसडी 2303/16 दिनांक 27.07.2016 का पूर्णतया उल्लंघन है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.07.2016 द्वारा संस्थान के चिकित्सकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु **Permanent Negotiating Machinery (PNM)** गठित की गई है, जिसमें सम्बन्धित संवर्ग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय ज्ञाप में आचार संहिता का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिसका अनुपालन समस्त से किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के अतिरिक्त सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यह भी स्मरण कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सं0740/71–1–2016–जी–301/2011 दिनांक 11 मार्च, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 30 सन 1966) की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन संजय गांधी स्नाताकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस0जी0पी0जी0आई0) लखनऊ की समस्त सेवाओं जिसमें संस्थान/अस्पताल की आपातकालीन उपचार सेवाएं भी समिमलित है, में हड़ताल को 6 माह की अवधि के लिए निषिद्व कर दिया गया है।

संस्थान के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 2 अगस्त, 2016 से प्रस्तावित कार्य बहिष्कार/ अनिश्चित कालीन हड़ताल संस्थान की आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सेवाओं में निषिद्व है, अतः यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी को **एस्मा** (अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966) के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनातमक कार्यवाही तथा एस्मा के प्रावधानों के अन्तर्गत कूननी कार्यवाही करना संस्थान प्रशासन की बाध्यता होगी।